झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची

आपराधिक विविध याचिका सं० - 3506/2022

टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड, भारतीय कंपनी अधिनियम, 1956 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत कंपनी, कार्यालय साकची बुलेवार्ड रोड, डाकघर+थाना - बिष्टुपुर, टाउन- जमशेदपुर, जिला - पूर्वी सिंहभूम, प्रतिनिधि जय पुष्पित पल्लव, मुख्य मंडल प्रबंधक (कानूनी), उम्र लगभग 45 वर्ष, पिता - श्री जे.पी.एन.दास, निवासी - फ्लैट संख्या - सी-5/3, ईडन पार्क, भाटिया बस्ती, कदमा, जमशेदपुर, डाकघर+थाना - कदमा, जिला - पूर्वी सिंहभूम ।

..... **याचिकाकर्ता**

-बनाम-

1. झारखंड राज्य
2. तापस कुमार महापात्र, पिता बिनोद कुमार महापात्र, निवासी जोन नंबर 4, मकान नंबर. 6-ए, बिरसानगर, ठाकुरजी पथ, डाकघर+थाना - बिरसानगर, जमशेदपुर, जिला- पूर्वी सिंहभूम ..... **विपक्ष**

याचिकाकर्ता की ओर से: श्री इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता
श्री अंकित विशाल, अधिवक्ता
श्री अमित कुमार, अधिवक्ता

राज्य की ओर से : श्री विनीत कुमार वशिष्ठ, विशेष पीपी

विपक्षी संख्या 2 की ओर से : कोई नहीं

<u>उपस्थित</u>

माननीय न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी

न्यायालय द्वारा:- पक्षों को सुना गया। यद्यपि विपक्षी संख्या 2 को वैध रूप से नोटिस दिया गया है, लेकिन बार-बार बुलाने के बावजूद विपक्षी संख्या 2 की ओर से कोई भी उपस्थित नहीं हुआ।

2. यह आपराधिक विविध याचिका धारा 482 सी.आर.पी.सी के तहत इस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र का आह्वान करते हुए दायर की गई है, जिसमें विद्वान जे.एम.एफ.सी, जमशेदपुर की अदालत में लंबित आईपीसी की धारा 420, 406, 504, 506 के तहत दंडनीय अपराध के लिए पंजीकृत शिकायत मामला संख्या 67/2021 के संबंध में पूरी आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की प्रार्थना की गई है, साथ ही विद्वान जे.एम.एफ.सी, जमशेदपुर द्वारा पारित दिनांक 05.08.2022 के आदेश के तहत और जिसके तहत विद्वान मजिस्ट्रेट ने याचिकाकर्ता कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ आई.पी.सी की धारा 406 और 420 के तहत दंडनीय अपराध के लिए संज्ञान लिया है।

3. याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप यह है कि याचिकाकर्ता कंपनी के दो गैर-मौजूद पद, अर्थात् महाप्रबंधक (ई.पी.सी), जे.यू.एस.सी.ओ और विपक्षी संख्या - 2 जो कि जे.यू.एस.सी.ओ के क्रय प्रमुख हैं, जो कि गैर-मौजूद पद हैं, ने शिकायतकर्ता को कुछ काम सौंपा, सबसे पहले, जी.ओ.सी, बर्मामाइंस और टाटा स्टील डिवीजन, टी.ए.सी.पी के लिए, लेकिन इसका भुगतान नहीं किया गया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि आरोपी नंबर 1 जो कि जे.यू.एस.सी.ओ का महाप्रबंधक (ई.पी.सी) है और आरोपी नंबर 2 जो कि जे.यू.एस.सी.ओ का क्रय प्रमुख है, कंपनी जे.यू.एस.सी.ओ का कोई अस्तित्व नहीं है, जिसका नाम बदलकर टाटा स्टील यूटिलिटीज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज लिमिटेड (टाटा स्टील यू.आई.एस.एल) कर दिया गया है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि यह शिकायत बिना किसी उचित कारण के आठ साल की अत्यधिक देरी के बाद दायर की गई है और सह-आरोपी महाप्रबंधक (ई.पी.सी), जे.यू.एस.सी.ओ और क्रय प्रमुख, जे.यू.एस.सी.ओ कंपनी के कोई अस्तित्व नहीं हैं।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी कि 3,44,404/- रुपए के बिल के विरुद्ध 3,39,965/- रुपए की राशि शिकायतकर्ता को दी गई है और 28,32,783/- के बिल के विरुद्ध 25,93,314/- रुपए की राशि आरटीजीएस और चेक के माध्यम से शिकायतकर्ता को दी गई है और याचिकाकर्ता बढ़ा-चढ़ाकर बताए गए दावे के आधार पर बकाया राशि का दावा कर रहा है।

इसके बाद दलील दी गई कि याचिकाकर्ता के खिलाफ आरोप झूठा है और पक्षों के बीच विवाद सिविल विवाद है और आईपीसी की धारा 420 या 406 के तहत दंडनीय कोई अपराध नहीं बनता है और विद्वान मजिस्ट्रेट का आदेश एक गैर-स्पीकिंग आदेश है। याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने आगे कहा कि जैसा कि जांच गवाह संख्या 4 राजेश कैबार्ता और जांच गवाह संख्या 5 संतोष उर्फ प्रेम शंकर ने स्वीकार किया है, जेयूएससीओ द्वारा आवंटित कार्य, जो कि कंपनी अधिनियम के तहत निगमित एक निगमित निकाय है, लेकिन उक्त कंपनी को आरोपी नहीं बनाया गया है।

6. अपने तर्क के समर्थन में याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने **बोकारो स्टील प्लांट एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य** के मामले में इस न्यायालय के वर्ष **2003 में सुप्रीम कोर्ट (जेएचके) 1402** में दिए गए निर्णय तथा **संतोष कुमार बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य के** मामले में दिनांक 28.08.2023 को सीआरएमपी संख्या 1211/2023 में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है तथा प्रस्तुत किया है कि इसमें इस न्यायालय ने **सुमा देवी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य** के मामले में दिनांक 21.06.2017 को आपराधिक विविध याचिका संख्या 741/2016 में दिए गए इस न्यायालय की समन्वय पीठ के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसके पैरा 22, 24 एवं 27 इस प्रकार हैं:-

> **"22.** कृष्णन एवं अन्य बनाम कृष्णवेणी एवं अन्य के मामले में (1997) 4 एससीसी 241 में रिपोर्ट की गई, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने आईपीसी की धारा 11 का हवाला देते हुए माना है कि 'व्यक्ति' शब्द में न केवल प्राकृतिक व्यक्ति बल्कि न्यायिक व्यक्ति भी शामिल होगा, चाहे वह किसी भी रूप में नामित हो और चाहे वह निगमित हो या नहीं। इस प्रकार, दो प्रकार के व्यक्ति हैं - प्राकृतिक व्यक्ति और न्यायिक व्यक्ति, यानी एक कानूनी व्यक्ति। यह कानूनी व्यक्ति एक मानव के अलावा एक विषय वस्तु है जिसे कानून व्यक्तित्व प्रदान करता है।
>
> **24.** दंड प्रक्रिया संहिता में समन जारी करने के प्रावधानों पर भी ध्यान देना उचित है। समन जारी करना दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय VI के अंतर्गत शासित होता है। धारा 62 में यह निर्धारित किया गया है कि समन की तामील कैसे की जानी चाहिए। सीआरपीसी की धारा 62(2) में यह अनिवार्य किया गया है कि, यदि संभव हो तो समन की

तामील व्यक्ति को समन की एक प्रति सौंपकर या उसे सौंपकर व्यक्तिगत रूप से की जानी चाहिए। उक्त धारा की उपधारा (3) में यह भी प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जिस पर समन की तामील की जाती है, यदि तामील करने वाले अधिकारी द्वारा ऐसा अपेक्षित किया जाता है, तो वह दूसरी प्रति के पीछे रसीद पर हस्ताक्षर करेगा। सीआरपीसी की धारा 63 में यह प्रावधान है कि कॉर्पोरेट निकायों और सोसाइटियों को समन की तामील कैसे की जानी चाहिए। इस प्रकार, उपर्युक्त प्रावधानों से यह स्पष्ट है कि धारा 62 व्यक्तियों पर समन की तामील का प्रावधान करती है और सीआरपीसी की धारा 63 कॉर्पोरेट निकायों और सोसाइटियों पर समन की तामील का प्रावधान करती है। दंड प्रक्रिया संहिता में 'व्यक्ति' शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन सीआरपीसी की धारा 2(वाई) में प्रावधान है कि दंड प्रक्रिया संहिता में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ जो परिभाषित नहीं हैं, लेकिन भारतीय दंड संहिता में परिभाषित हैं, उनका अर्थ क्रमशः उस संहिता में निर्दिष्ट किया गया है। इसका मतलब यह है कि आईपीसी में उल्लिखित 'व्यक्ति' शब्द की परिभाषा सीआरपीसी पर भी लागू होगी। इसलिए, यह स्पष्ट है कि समन केवल एक प्राकृतिक व्यक्ति के खिलाफ जारी किया जा सकता है, जिसे उस पर हस्ताक्षर करना होगा और उसकी एक प्रति प्राप्त करनी होगी या कॉर्पोरेट के मामले में संहिता में निर्धारित तरीके से।

27. इस मामले में, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड - जो कि कंपनी अधिनियम के तहत निगमित कंपनी है, आरोपी नहीं है और कंपनी के खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाया गया है। आरोपी हैं:- (1) मुख्य प्रबंधक, बी.सी.सी.एल., कुसुंडा क्षेत्र; (2) परियोजना अधिकारी, बी.सी.सी.एल., गोधर कोलियरी; (3) उप कार्मिक प्रबंधक, बी.सी.सी.एल., गोधर कोलियरी; (4) मुख्य कार्यालय लिपिक, बी.सी.सी.एल., गोधर कोलियरी; जिनके खिलाफ समन जारी करने का आदेश दिया गया है। चूंकि ये कंपनी के कर्मचारियों के पद/पदनाम हैं, इसलिए वे न तो स्वाभाविक हैं और न ही कानूनी व्यक्ति। इसके अलावा, आई.पी.सी. इन पदों के लिए किसी व्यक्तित्व को जिम्मेदार नहीं ठहराती है। ऐसी स्थिति होने के कारण, उन्हें स्वतंत्र रूप से मुकदमे का सामना करने के लिए बुलाया नहीं जा सकता है। यहां यह उल्लेख करना उचित है कि कानूनी व्यक्ति, यानी कंपनी बी.सी.सी.एल. शिकायत मामले में आरोपी नहीं है।" (जोर दिया गया)

और प्रस्तुत किया कि चूंकि महाप्रबंधक (ईपीसी) जुस्को और क्रय प्रमुख, जुस्को कंपनी के कर्मचारियों के पद/पदनाम हैं, इसलिए वे न तो प्राकृतिक और न ही न्यायिक व्यक्ति हैं, इसलिए, याचिकाकर्ता को महाप्रबंधक (ईपीसी) जुस्को और क्रय प्रमुख, जुस्को होने के नाते समन जारी नहीं किया जाना चाहिए था, खासकर तब, जब शिकायत 08.01.2021 को दर्ज की गई थी।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा वीर प्रकाश शर्मा बनाम अनिल कुमार अग्रवाल एवं अन्य के मामले में दिए गए निर्णय (2007) 7 एससीसी 373 पर भरोसा किया है, जिसका पैरा 8 इस प्रकार है:-

> **"8.** इस मामले में पक्षों के बीच विवाद मूलतः एक सिविल विवाद है। माल की कीमत का भुगतान न करना या कम भुगतान करना अपने आप में धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात का अपराध नहीं है। दंड संहिता की धारा 405 में निहित आपराधिक विश्वासघात की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में कोई अपराध नहीं माना जा सकता है। दंड संहिता की धारा 405 में इस प्रकार लिखा है:
>
> **"405.** आपराधिक न्यासभंग।-- जो कोई, किसी भी तरह से संपत्ति सौंपी जाने पर, या संपत्ति पर किसी आधिपत्य के साथ, बेईमानी से उस संपत्ति का दुरुपयोग करता है या उसे अपने उपयोग में लाता है, या बेईमानी से उस संपत्ति का उपयोग करता है या उसका निपटान करता है, कानून के किसी निर्देश का उल्लंघन करते हुए, जिसमें उस न्यास के निर्वहन का तरीका निर्धारित किया गया है, या किसी कानूनी अनुबंध का उल्लंघन करता है, चाहे वह व्यक्त हो या निहित, जो उसने ऐसे न्यास के निर्वहन के संबंध में किया है, या जानबूझकर किसी अन्य व्यक्ति को ऐसा करने देता है, वह 'आपराधिक न्यासभंग' करता है।
>
> उपर्युक्त प्रावधान के अवयवों के अस्तित्व को दर्शाने के लिए न तो कोई आरोप लगाया गया है और न ही इस संबंध में कोई बयान दिया गया है।"

और प्रस्तुत करता है कि यह कानून का स्थापित सिद्धांत है कि जब पक्षों के बीच विवाद अनिवार्य रूप से एक सिविल विवाद है, तो माल की कीमत का भुगतान न करना या कम भुगतान करना अपने आप में धोखाधड़ी या आपराधिक विश्वासघात का अपराध नहीं माना जाता है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने **शरद कुमार सांघी बनाम संगीता राणे (2015) 12 एससीसी 781** मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का हवाला दिया, जिसका पैरा 11 इस प्रकार है:-

> "11. जैसा कि शिकायतकर्ता के प्रारंभिक बयान से पता चलता है, इस मामले में आरोप कंपनी के खिलाफ हैं, कंपनी को पक्ष नहीं बनाया गया है और इसलिए आरोप प्रबंध निदेशक तक ही सीमित हैं। जैसा कि हमने पहले उल्लेख किया है, आरोप अस्पष्ट हैं और वास्तव में, मुख्य रूप से आरोप कंपनी के खिलाफ हैं। प्रबंध निदेशक के खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं है। जब किसी कंपनी को पक्ष नहीं बनाया गया है, तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है, भले ही कुछ क़ानूनों के तहत प्रतिनिधि दायित्व तय किया गया हो। ऐसा अनिता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रैवल्स एंड टूर्स (पी) लिमिटेड [अनीता हाडा बनाम गॉडफादर ट्रैवल्स एंड टूर्स (पी) लिमिटेड, (2012) 5 एससीसी 661: (2012) 3 एससीसी (सिविल) 350: (2012) 3 एससीसी (क्रि) 241] में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 के संदर्भ में माना गया है।"

और प्रस्तुत किया कि मुख्य रूप से आरोप कंपनी के खिलाफ हैं और कंपनी को एक पक्ष के रूप में नहीं रखा गया है, इसलिए, इसके खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की जा सकती है, भले ही याचिकाकर्ता कंपनी के कर्मचारियों पर कुछ क़ानूनों के तहत दायित्व लगाया गया हो; लेकिन यहाँ इस मामले में, दंडनीय अपराध भारतीय दंड संहिता के दंड प्रावधानों के तहत हैं, जो दायित्व की परिकल्पना नहीं करता है, कंपनी को अभियुक्त के रूप में शामिल किए बिना कंपनी के पद के खिलाफ अभियोजन कानून में टिकने योग्य नहीं है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने अख्तर शकील बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य के मामले में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का हवाला दिया है, जो सीआर.अपील संख्या (एस) 217/2020 में रिपोर्ट किया गया है, जो एसएलपी (सीआरएल) संख्या (एस) 8483/2020 दिनांक 03.02.2020 से उत्पन्न हुआ है, जिसमें भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि किसी को इस तथ्य को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि एफ.आई.आर तब दर्ज की गई है, जब बकाया राशि की वसूली के लिए मुकदमा दायर करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है। इसलिए, यह बहुत ही वैध रूप से इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि आपराधिक अभियोजन की संस्था मूल रूप से किसी भी धन संबंधी दावे को प्राथमिकता देने में

सीमा की बाधा को दूर करने के लिए थी और आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा, इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ शिकायत केस संख्या 67/2021 के संबंध में दिनांक 05.08.2022 के आदेश को रद्द कर दिया जाए और अलग रखा जाए।

10. दूसरी ओर विद्वान विशेष पीपी ने शिकायत केस संख्या 67/2021 के संबंध में संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ दिनांक 05.08.2022 के आदेश को रद्द करने की प्रार्थना का पुरजोर विरोध किया और प्रस्तुत किया कि शिकायत में याचिकाकर्ता के खिलाफ लगाए गए आरोप, गंभीर प्रतिज्ञान पर बयान और जांच गवाह का बयान अपराधों का गठन करने के लिए पर्याप्त है, जिसके लिए विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान लिया गया है, इसलिए, यह आपराधिक विविध याचिका बिना किसी योग्यता के खारिज की जाती है।

11. बार में प्रस्तुत किए गए तर्कों को सुनने और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री का अध्ययन करने के पश्चात, यहां यह उल्लेख करना उचित है कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि विद्वान मजिस्ट्रेट ने दो पदों के संबंध में संज्ञान लिया है, जो कि जेयूएससीओ के महाप्रबंधक (ईपीसी) और जेयूएससीओ के क्रय प्रमुख हैं, तथा उन्हें पद और पदनाम के आधार पर आरोपी बनाया है और ऐसे पद धारकों द्वारा अपनी व्यक्तिगत क्षमता में कोई अवैध गतिविधि करने का कोई आरोप नहीं है और न ही कंपनी की ओर से उनके द्वारा कोई प्रत्यक्ष कार्य किए जाने का आरोप है। यह तथ्य भी निर्विवाद है कि याचिकाकर्ता कंपनी में ऐसा कोई पद मौजूद नहीं है।

12. इसके अलावा, **सुमा देवी बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य (सुप्रा)** के मामले में दिए गए फैसले के मद्देनजर, इस अदालत को यह मानने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि उक्त दो पद महाप्रबंधक (ईपीसी) जुस्को और क्रय प्रमुख, जुस्को, पद और पदनाम के रूप में वर्गीकृत हैं, भले ही वे न तो न्यायिक व्यक्ति हैं और न ही प्राकृतिक व्यक्ति। इसके अलावा, उक्त दो महाप्रबंधक (ईपीसी) जुस्को और कंपनी के क्रय प्रमुख, जुस्को द्वारा किए गए प्रत्यक्ष कृत्य के किसी विशिष्ट आरोप के अभाव में और भले ही शिकायत में लगाए गए आरोप, गंभीर प्रतिज्ञान पर बयान और जांच गवाह के बयान को पूरी तरह से सत्य माना जाता है, फिर भी इस अदालत की

सुविचारित राय में, न तो आईपीसी की धारा 406 के तहत दंडनीय अपराध और न ही आईपीसी की धारा 420 के तहत दंडनीय अपराध बनता है और आपराधिक कार्यवाही जारी रखना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा।

13. उपरोक्त तथ्यों पर विचार करते हुए, यह न्यायालय इस विचार पर है कि यह एक उपयुक्त मामला है, जहां संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही के साथ-साथ शिकायत मामला संख्या 67/2021 के संबंध में दिनांक 05.08.2022 के आदेश को रद्द किया जाना चाहिए और याचिकाकर्ता कंपनी के कर्मचारियों के खिलाफ अलग रखा जाना चाहिए।

14. तदनुसार, शिकायत मामला संख्या 67/2021 के संबंध में संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही और दिनांक 05.08.2022 के आदेश को रद्द किया जाता है और याचिकाकर्ता कंपनी के महाप्रबंधक (ईपीसी) जेयूएससीओ और खरीद प्रमुख, जेयूएससीओ के खिलाफ अलग रखा जाता है।

15. परिणामस्वरूप, इस आपराधिक विविध याचिका को अनुमति दी जाती है और तदनुसार, पहले पारित अंतरिम आदेश, यदि कोई हो, निरस्त माना जाता है।

(न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी)

झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
दिनांक 11 दिसंबर, 2023
स्मिता/एएफआर

यह अनुवाद सुश्री लीना मुखर्जी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।